राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–३
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः– रामाशिप/जय/एसएजी निर्देश/2015/12407 दिनांकः– 23/06/2015

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषयः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2015–16 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2015–16 में विद्यालय वार्षिक अनुदान 13632 विद्यालयों हेतु 50000रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया हैं, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावे : –

   1.1 बिजली,पानी,टेलीफोन,इंटरनेट आदि सुविधाओं पर।

   1.2 समाचार पत्रों, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।

   1.3 खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि।

   1.4 स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक दिवस, बैठक आयोजन।

   1.5 प्रयोगशाला उपकरणों के रिपेयर/रिप्लेसमेन्ट एवं प्रयोगशाला Consumables.

   1.6 अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

नोटः– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावें।

2. जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की जावें।

3. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को जारी करें।

4. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावें।
5. राज्य स्तर से लगातार प्रभारी अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान उक्त राशि की उपयोगिता बाबत् निरीक्षण किया जावेगा।
6. जिला कार्यालय को परिषद् से राशि प्राप्त होने के उपरांत तीन दिवस के भीतर राशि सम्बन्धित विद्यालयों में भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्था प्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी करें।
8. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांकः 28.02.2016 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें। विद्यालयों को राशि जारी किए जाने की सूचना सात दिवस के भीतर परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करें।
9. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना पूर्व प्रेषित प्रपत्रानुसार संकलित करे। (संलग्न प्रपत्रः– 1–4)

B. कार्य प्रक्रिया– विद्यालय स्तर पर

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के 1 माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।
2. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु–

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्र/छात्रा हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत् ली गई साम्रगी के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2015–16 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी 2016 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न हैं।

(तूलिका सैनी)
उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर का देकर लेख है कि सत्र 2015–16 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख हैं कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर
7. कार्यालय पत्रावली।

उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नामः–..... (विद्यालय कोडः–.....)

क्र. सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हॉ/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2015–16									
योगः–										

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्रः– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/ मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

कार्यालय का नामः– ....

क्रमांकः– ....   दिनांकः– ....

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि सत्र 2015–16 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में..
.............(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि ....में से ....राशि नियमानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई हैं।

प्रमाणितकर्त्ता (संस्था प्रधान)

मय मोहर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नामः– .... (विद्यालय कोडः– ....)

क्र. सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हॉ/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2015–16								
		योगः–							

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्रः– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/ मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

6

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–3 (विद्यालयों का समेकित)

सत्रः– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–4 (जिला स्तरीय समेकित)

जिला का नामः–.....

क्र. सं.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हॉ/नहीं	अनियमितता के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2015–16						
योगः–							

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एप्लिकेशन/ 12-624 दिनांक 2[illegible]/07/2015

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
जिला– हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, कोटा, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ, झूंझनू, स. माधोपुर, सिरोही, चूरू, टोंक व उदयपुर।

विषय:– अग्निशमन यंत्रों के रख–रखाव के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देश है कि विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों के रख–रखाव पर होने वाले व्यय का भुगतान इस वर्ष-2015–16 मे जारी विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि में से किया जा सकेगा,

इसकी पालना सुनिश्चित करें।

(तूलिका सैनी)
उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, कोटा, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ, झुंझनूं, स. माधोपुर, सिरोही, चूरू, टोंक व उदयपुर।
2. संबंधित संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।